

सं. 20012/19/2013-रा.भा.(सं.रा.भा.स.)

गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.-2 भवन,
जयसिंह रोड़, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 29-04-2016

कार्यालय ज्ञापन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय संसदीय राजभाषा समिति के समूह "क" के निःसवर्गीय पदों के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाना है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी-14017/61/2008-स्था.(आर.आर.) दिनांक 13.10.2015 के अनुपालन में भर्ती नियम में किए जा रहे संशोधन को अधिसूचित करने से पूर्व सभी स्टॉकहोल्डर से सुझाव मंगवाया जाना है।

2. संसदीय राजभाषा समिति के भर्ती नियम को संशोधित करने से पूर्व एतद द्वारा स्टॉकहोल्डर को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में अपना सुझाव यदि कोई है तो 31 मई, 2016 तक अधोहस्ताक्षरी को भिजवा दें ताकि भर्ती नियम को अधिसूचित करते समय उनके सुझाव पर विचार किया जा सके। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।



(राज के. गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

संलग्नक: पदवार भर्ती नियम का संशोधन प्रस्ताव की हिंदी व इंग्लिश प्रतिलिपि

प्रतिलिपि:

1. सचिव (समिति), संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (रा.सू.वि.के.), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि संलग्न प्रस्तावित भर्ती नियमों को राजभाषा विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

Col.No.	Provision in the approved rules	Revised provisions proposed	Reasons for the revision proposed
2. Number of the post	2*(2000) * Subject to variation dependent on work load	1*(2015) 2016 * Subject to variation dependent on work load	1. Current year has been mentioned.
4. Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Rs.10000-325-15200	PB-3, Rs.15600-39100+ Grade Pay Rs.6600/-	As per CCS(RP) Rules, 2008
12. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, Grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	<p>Deputation Officers under the Central/State Governments :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii)with five years' regular service in posts in the scale of Rs.8000-13500 or equivalent ; and (iii) With eight ears regular service in posts I the scale of Rs.6500-10500 or equivalent; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience ; (i)Master's degree from a recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level; Or Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a subject at the degree level; Or Master's degree from a recognised University in any subject with Hindi and English as subject at degree level; Or Master's degree from a recognised University in any subject with Hindi medium and English as subjects at a degree level; Or Master's degree from a recognised University in any subject with English medium and Hindi as subjects at a degree level. (ii) Five years' experience in implementation of Official Language policy of the Government. (Period of deputation including period of deputation in another</p>	<p>Deputation Officers under the Central/State Governments (i)holding analogous posts on regular basis in the PB-3 with grade pay of Rs.6600; or (ii)with five years' regular service in posts in the PB-3 with grade pay of Rs.5400 and possessing the following educational qualifications and experience : (i)Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a subject at the degree level; Or Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a subject at the degree level; Or Master's degree of a recognised University in any subject with Hindi and English as subjects at degree level; Or Master's degree of a recognised University in any subject with Hindi medium and English as subjects at a degree level; Or Master's degree of a recognised University in any subject with English medium and Hindi as subjects at a degree level. (ii) having five years experience in implementation of Official Language policy of the Government including experience in protocol and liaison work. (iii) having experience in Data Analysis and preparation of report (iv) having working knowledge of computer including MS Office and Excel in Hindi and English Note :- (i) Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the</p>	As per Department of Personnel and Training No.AB.14017/61/2008-Estt.(RR) dated 24-3-2009

	<p>ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)</p>	<p>same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract)/transfer shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.) (ii) There should be a gap of at least 5 years in between two successive deputation in the Committee of Parliament on Official Language.</p>	
--	--	---	--

Col.No.	Provision in the approved rules	Revised provisions proposed	Reasons for the revision proposed
2. Number of the post	2*(2000) * Subject to variation dependent on work load	2*(2016) * Subject to variation dependent on work load (i) Under Secretary (Admn)- 01 (ii) Under Secretary(Hindi)-01	1. Current year has been mentioned. 2. Classification of 2 posts of Under Secretary
4. Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Rs.10000-325-15200	PB-3, Rs.15600-39100+ Grade Pay Rs.6600/-(As per VI Pay Commission)/(Pay scale to be inserted as per the report of VII Pay Commission)	As per CCS(RP) Rules, 2008
12. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, Grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	<p>Deputation Officers under the Central/State Governments :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii)with five years' regular service in posts in the scale of Rs.8000-13500 or equivalent; and (iii) With eight ears regular service in posts in the scale of Rs.6500-10500 or equivalent; and</p> <p>(b) (i) Possessing five years experience in implementation of Official Language policy of the Government including experience in protocol and liaison work.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract)/transfer shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.)</p>	<p>Deputation (a) Under Secretary (Admn) Officers under the Central/State Governments (i)holding analogous posts on regular basis in the PB-3 with grade pay of Rs.6600; or (ii) having five years' regular service in posts in the PB-3 with grade pay of Rs.5400 and possessing the following educational qualifications and experience : (i) Graduate or equivalent from any recognized university (ii)having five years experience in Administration/Establishment matters in a Govt Department. (iii) having working knowledge of computer including MS Office and Excel in Hindi and English (iv) having experience in implementation of Official Language policy of the Government including experience in protocol and liaison work.</p> <p>(b) Under Secretary (Hindi) Officers under the Central/State Governments (i)holding analogous posts on regular basis in the PB-3 with grade pay of Rs.6600; or (ii)with five years' regular service in posts in the PB-3 with grade pay of Rs.5400 and possessing the following educational qualifications and experience : (i) Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a subject at the degree level; Or Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a subject at the degree level; Or Master's degree of a recognised University in any subject with Hindi and English as subjects at degree level; Or</p>	As per Department of Personnel and Training No.AB.14017/61/2008-Estt.(RR) dated 24-3-2009

		<p>Master's degree of a recognised University in any subject with Hindi medium and English as subjects at a degree level;</p> <p>Or</p> <p>Master's degree of a recognised University in any subject with English medium and Hindi as subjects at a degree level and</p> <p>(ii) having five years experience in implementation of Official Language policy of the Government including experience in protocol and liaison work.</p> <p>(iii) having experience in translation from Hindi to English and vice-versa.</p> <p>(iii) having working knowledge of computer including MS Office and Excel in Hindi and English</p> <p>Note :-</p> <p>(i) Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract)/transfer shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)</p> <p>(ii) There should be a gap of at least 5 years in between two successive deputation in the Committee of Parliament on Official Language.</p>	
--	--	--	--

पद का नाम -वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी			
कॉ.सं.	अनुमोदित नियमावली में उपबंध	प्रस्तावित संशोधित उपबंध	प्रस्तावित संशोधन के कारण
2.पदों की संख्या	2*(2000) *कार्य के दबाव को देखते हुए पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	1*(2016) *कार्य के दबाव को देखते हुए पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	1.चालू वर्ष का उल्लेख किया गया है।
4. वेतन बैंड और ग्रेड वेतन /वेतनमान।	₹10,000-325-15,200/-	वेतन बैंड -3, ₹15600-39100/-, ग्रेड वेतन ₹6600/-	सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2008 के अनुसार
12. प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।	प्रतिनियुक्ति केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्य कर रहे हैं; या ii) ₹8000-13500/- के या समकक्ष वेतनमान के पदों में पांच वर्ष की नियमित सेवा; या iii) ₹6500-10500/- के या समकक्ष वेतनमान के पदों में आठ वर्ष की नियमित सेवा; और ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ और अनुभव प्राप्त हों: i) किसी मान्यता प्राप्त	प्रतिनियुक्ति केंद्र सरकार/ राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (i) वेतन बैंड -3 में ₹.6600/- के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्य कर रहे हैं; या (ii) वेतन बैंड -3 में ₹5400/- के ग्रेड वेतन में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ और अनुभव प्राप्त हों: i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री या समकक्ष और डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से	डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय जापन फा.सं. एबी.14017/61/2008-स्टेब.(आर.आर.) दिनांक 24.03.2009 के अनुसार

	<p>विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री या समकक्ष और डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी हो</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी हो ; अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी; अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर विषयों में से एक विषय अंग्रेजी हो ; अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर विषयों में से एक विषय अंग्रेजी हो ; अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर विषयों में से एक विषय हिंदी हो।</p>	<p>अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी हो ; अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी; अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर विषयों में से एक विषय अंग्रेजी हो ; अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर विषयों में से एक विषय हिंदी हो।</p> <p>ii) सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पांच वर्ष का अनुभव जिसमें प्रोटोकॉल और संपर्क कार्य भी शामिल हैं ।</p> <p>(iii) डाटा विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करने के कार्य का अनुभव ।</p> <p>(iv) कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान जिसमें एम एस ऑफिस तथा एक्सेल में हिन्दी और अंग्रेजी में कार्य करना शामिल है ।</p>	
--	--	---	--

	<p>ii) सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पांच वर्ष का अनुभव </p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी </p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)</p>	<p>टिप्पणी :-</p> <p>(i) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी </p> <p>प्रतिनियुक्ति(अल्पावधिक संविदा सहित)/स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी </p> <p>(ii)संसदीय राजभाषा समिति में दो क्रमिक प्रतिनियुक्तियों के बीच कम से कम पांच वर्ष का अन्तर होना चाहिए </p>	
--	--	---	--

पद का नाम -अवर सचिव			
कॉ.सं.	अनुमोदित नियमावली में उपबंध	प्रस्तावित संशोधित उपबंध	प्रस्तावित संशोधन का कारण
2.पदों की संख्या	2*(2000) *कार्य के दबाव को देखते हुए पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	2*(2016) *कार्य के दबाव को देखते हुए पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। (i) अवर सचिव(प्रशा)-01 (ii) अवर सचिव(हिंदी)-01	1.चालू वर्ष का उल्लेख किया गया है। 2. अवर सचिव के दो पदों का वर्गीकरण
4. वेतन बैंड और ग्रेड वेतन /वेतनमान	₹10,000-325-15,200/-	वेतन बैंड-3, ₹15600-39100/-,ग्रेड वेतन ₹6600/-(छठे वेतन आयोग के अनुसार) (वेतनमान सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शामिल किया जाएगा)	सीसीएस (आरपी) नियमावली ,2008 के अनुसार
12. प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां ,जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	<u>प्रतिनियुक्ति</u> केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी: (क)(i)जो नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्य कर रहे हैं; या ii)₹8000-13500/- के या समकक्ष वेतनमान के पदों में पांच वर्ष की नियमित सेवा; या iii) ₹6500-10500/- के या समकक्ष	<u>प्रतिनियुक्ति</u> (क)अवर सचिव(प्रशा.)- केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (i) वेतन बैंड-3 में ₹6600/- के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्य कर रहे हैं;या (ii)वेतन बैंड-3 में ₹.5400/- के ग्रेड वेतन में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और	डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय जापन फा.सं. एबी.14017/61/2008-स्टेब.(आर.आर.) दिनांक 24.03.2009 के अनुसार

	<p>वेतनमान के पदों में आठ वर्ष की नियमित सेवा;और</p> <p>ख (i) प्रोटोकॉल और संपर्क कार्य सहित सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त हो ।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति(अल्पावधिक संविदा सहित)/स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)</p>	<p>निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ और अनुभव प्राप्त हों:</p> <p>(i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष ;</p> <p>(ii)किसी सरकारी विभाग में प्रशासन /स्थापना संबंधी मामलों में पांच साल का अनुभव;</p> <p>(iii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान जिसमें एम. एस. ऑफिस तथा एक्सेल में हिन्दी और अंग्रेजी में कार्य करना शामिल है ।</p> <p>(iv) प्रोटोकॉल और संपर्क कार्य सहित सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त हो ।</p> <p>(ख)अवर सचिव(हिंदी)-</p> <p>केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :</p> <p>(i) वेतन बैंड -3 में ₹ 6600/- के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर सदृश पद कार्य कर रहे हैं ;या</p> <p>वेतन बैंड-3 में ₹5400/- के ग्रेड वेतन में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ और अनुभव प्राप्त हों:</p>	
--	--	--	--

	<p>i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री या समकक्ष और डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी हो ; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर विषयों में से एक विषय अंग्रेजी हो ; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर विषयों में से एक विषय हिंदी हो।</p> <p>(ii) प्रोटोकॉल और संपर्क कार्य सहित सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त हो ।</p> <p>(iii) हिंदी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिंदी में</p>	
--	---	--

	<p>अनुवाद का अनुभव ।</p> <p>(iv)कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान जिसमें एम. एस. ऑफिस तथा एक्सेल में हिन्दी और अंग्रेजी में कार्य करना शामिल है ।</p> <p><u>टिप्पणी:</u></p> <p>(i) प्रतिनियुक्ति की अवधि ,जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति(अल्पावधिक संविदा सहित)/स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>(ii)संसदीय राजभाषा समिति में दो क्रमिक प्रतिनियुक्तियों के बीच कम से कम पांच वर्ष का अन्तर होना चाहिए ।</p>	
--	---	--